संख्या : 72/2016/1026/छप्पन-2016-7/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 14 सितम्बर, 2016

विषय : राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी-250 पर 5 पायलटों को यू0एस0ए0 में दिलाये गये प्रशिक्षण पर अतिरिक्त व्यय की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 236/ना0उ0नि0/लेखा/2016, दिनांक 20.7.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या 57/2015/934(2)/छप्पन-2015-7/2013, दिनांक 15.7.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कै0 पंकज सिंह, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र, कै0 अरूण कुमार एवं कै0 प्रवीण किशोर को राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी-250 पर प्रशिक्षण दिये जाने हेतु उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 15.07.2015 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को रूपये 17,26,050/- की धनराशि अग्रिम के रूप में विदेश यात्रा के व्यय हेतु भुगतान की गई है। विदेश यात्रा बीजकों के परीक्षणोपरान्त अग्रिम का समायोजन करते हुए विनिमय दरों में हुई वृद्धि के कारण निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त व्यय हुई धनराशि रूपये 54,566/- की स्वीकृति प्रदान की जानी है :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	यात्रा भत्ता देयक की अग्रिम भुगतान की गयी धनराशि (आकस्मिक देयक सं0 235 दिनांक 30.7.2015)	समायोजन हेतु प्रस्तुत विदेश यात्रा भत्ता देयक की धनराशि	अवशेष धनराशि जिसका भुगतान किया जाना है
1	कै0 पंकज सिंह	373875.00	407333.00	33458.00
2	कै0 कमलेश्वर सिंह	373875.00	386480.00	12605.00
3	कै0 प्रज्ञेश मिश्र	326100.00	324252.00	0
4	कै0 अरूण कुमार	326100.00	318697.00	0
5	कै0 प्रवीण किशोर	326100.00	334603.00	8503.00
	योग	1726050.00	1771365.00	54566.00

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त विवरण के क्रमांक-3 एवं 4 पर अंकित पायलट क्रमशः कै0 प्रज्ञेश मिश्र एवं कै0 अरूण कुमार को दी गई अग्रिम धनराशि क्रमशः रूपये 3,26,100/- के सापेक्ष रूपये 3,24,252/- का तथा कै0 अरूण कुमार को विदेश यात्रा हेतु भुगतान की गई धनराशि रूपये 3,26,100/- के सापेक्ष रूपये 3,18,697/- का ही समायोजन प्राप्त हुआ है, इस प्रकार कै0 मिश्र से रू0 1,848/- तथा कै0 अरूण कुमार से रू0 7,403/- की धनराशि उनसे प्राप्त कर राजकोष में चालान द्वारा जमा की गई है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों को देखते हुए श्री राज्यपाल दिये गये यात्रा बीजकों के सापेक्ष स्वीकृत अग्रिम धनराशि रूपये 17,26,050/- को समायोजित करते हुए अवशेष अतिरिक्त हुए व्यय की धनराशि रू0 54,566/-(रू0 चौवन हजार पॉच सौ छियासठ मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- शासनादेश संख्या- 57/2015/934(2)/छप्पन-2015-7/2013, दिनांक 15.7.2015 में उल्लिखित शर्तें/अनुबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नाम डाला जायेगा।

6- उक्त इंगित पायलटों द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बीजकों की नियमानुसार देयता के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत धनराशि का भुगतान किया जाये।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 72/2016/1026(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in